

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-547 / 2012
 संस्थित दिनांक-20.12.2012
 फाईलिंग क्र.234503001772012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

सोनसिंह पिता धनसिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम झांगुल, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/08/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-20.06.2012 को 7:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झांगुल में लोक स्थान या उसके समीप फरियादी खेलसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत खेलसिंह को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-20.06.2012 को सुबह 7:00 बजे फरियादी खेलसिंह का भाई आरोपी सोनसिंह आया और खेलसिंह को माता-पिता के खेत में हल चलाने से मना किया और माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर आरोपी सोनसिंह ने उसके सिर व पीठ पर लाठी से मारा, जिससे खून निकलने लगा और माँ को जमीन पर पटक दिया। उक्त घटना को साक्षी परमसिंह, कृपाराम, प्रतापसिंह ने देखे व सुने हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी खेलसिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना बैहर में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-88/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर उक्त

घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त लाठी जप्त की गई तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक-20.06.2012 को 7:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झांगुल में लोक स्थान या उसके समीप फरियादी खेलसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत खेलसिंह को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी खेलसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत खेलसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि आरोपी सोनसिंह उसका भाई है। घटना आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दिन के नौ बजे उसके खेत की है। वे दोनों भाई को डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन खाने-कमाने के लिए दिए हैं और स्वयं के लिए तीन एकड़ जमीन रखें हैं। उसके माता-पिता उसके पास रहते हैं, इसलिए उनकी तीन एकड़ जमीन पर वह खेती करता है। आरोपी सोनसिंह ने माता-पिता की जमीन पर नागर धान फँसाकर धान बो दिया था। उक्त बात को लेकर उसके माता-पिता चार लोगों को लेकर खेत पर गए और वह भी उनके साथ गया था। गांव के लोगों ने खेत पर ही आरोपी को बुलाया, जो आकर कहने लगा कि मुझे क्यों बुलाया है, तब आरोपी सोनसिंह ने उसका गला पकड़कर पटक दिया और आरोपी सोनसिंह और उसके लड़के ने उसे मिलकर मारा, जिससे उसे सिर पर चोट लगी थी

और खून बहने लगा था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व से ही उसकी आरोपी से रंजिश चली आ रही है। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। यद्यपि साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसे आरोपी के द्वारा मारपीट कर उपहति कारित करने के अलावा अन्य अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त आहत को आरोपी के द्वारा मारपीट कर उपहति कारित किये जाने का खण्डन न होने से उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— साक्षी सोमवती बाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं फरियादी को जानती है, जो उसके लड़के हैं। घटना लगभग दो-तीन साल पहले दिन के 10:00 बजे की है। खेत में आरोपी आया और उसे तथा उसके पति को गाली-गलौज करने लगा। आरोपी ने उसके छोटे लड़के खेलसिंह को सिर पर मारा, जिससे खून निकलने लगा तथा उसे उठाकर पटक दिया था। उसने आरोपी को खेत में से उसका हिस्सा पहले ही अलग कर दिया और अपने खाने-कमाने के लिए खेत रखा है, उस पर भी आरोपी की नियत है। उसने आरोपी द्वारा खेलसिंह को मारपीट करने का बीच-बचाव किया था और दूसरे लोगों ने बीच-बचाव किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आहत खेलसिंह (अ.सा.2) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए आहत खेलसिंह को आरोपी के द्वारा उपहति कारित किये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, जिसका खण्डन न होने से उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8— कृपाराम (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना माह जून वर्ष 2012 की दोहपर के समय खेत की है। उसे घटना दिनांक को जमीन के विवाद को लेकर प्रार्थी ने बुलाकर खेत लेकर गया था। उसके द्वारा सोनसिंह को बुलाकर समझाया गया कि उस खेत को नहीं कमाओं तो आरोपी नहीं माना लठिया से खेलसिंह को सिर पर मार दिया, जिससे खेलसिंह का खून

बहने लगा। फिर वे लोग नहीं समझने के कारण घर वापस आ गए। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है, इस प्रकार साक्षी ने आहत खेलसिंह को आरोपी के द्वारा उहपति कारित करने के तथ्य का समर्थन किया है।

9— प्रतापसिंह (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 10-11 बजे ग्राम झांगुल में आरोपी के खेत की है। घटना दिनांक को प्रार्थी खेलसिंह गांववालों को बुलाने आया था कि सोनसिंह उसके खेत में हल चला रहा है। फिर वह गांव के 10-12 लोगों के साथ खेलसिंह के खेत गया था। खेत में सोनसिंह हल चला रहा था, जिसे उन्होंने अपने पास बुलाए, तभी खेलसिंह ने सोनसिंह को कहा कि वह माता-पिता को रखता है, तो उनके हिस्से में हल भी चलाएगा, तुमको अलग हिस्सा दे दिए हैं, तुम उसमें हल चलाओ, तभी खेलसिंह और आरोपी के बीच विवाद होने लगा तो आरोपी ने खेलसिंह को हल चलाने की तुतारी (लकड़ी) से सिर पर मार दिया था। फिर उन लोगों के बीच के विवाद को धनसिंह शांत किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है, इस प्रकार साक्षी ने आहत खेलसिंह को आरोपी के द्वारा उहपति कारित करने के तथ्य का समर्थन किया है।

10— आहत खेलसिंह का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.06.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक महिपाल कमांक-245, थाना बैहर द्वारा आहत खेलसिंह पिता धनसिंह वत्के उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम झांगुल को लाए जाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। जिसके परीक्षण करने पर उसने आहत के सिर पर एक छोटी खरोंच होना पाया था, जिसका रक्त सूखा हुआ और लालिमा लिये हुए था और दूसरी चोट पीठ पर दाहिने तरफ पाया था, जो लालिमा लिये हुए थी। उसने अपने चिकित्सीय अभिमत बताया है कि आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस चिकित्सीय साक्षी ने घटना के समय आहत खेलसिंह को मारपीट के कारण साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कानूसिंह खण्डाते (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-20.06.12 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को खेलसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-88/12, धारा-294, 323, 506 बी भा.द.वि. के तहत आरोपी सोनसिंह के विरुद्ध में प्रदर्श पी-1, प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के द्वारा लेख किया गया है, जिस पर प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-21.06.12 को खेलसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी खेलसिंह, साक्षी सोमवती बाई, परमसिंह, कृपाराम, प्रताप के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-24.06.12 को आरोपी सोनसिंह से एक लाठी जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सम्मलसिंह यादव (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसके सामने आरोपी सोनसिंह से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई और न ही उसे गिरफ्तार किया गया, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

13— अभियोजन की ओर से फरियादी व अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य पेश नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी खेलसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी खेलसिंह (अ.सा.2) की साक्ष्य में इस तथ्य का खंडन नहीं हुआ है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की। उक्त तथ्य का समर्थन घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी सोमवतीबाई (अ.सा.1), कृपाराम (अ.सा.4), प्रतापसिंह (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार फरियादी/आहत खेलसिंह को घटना के समय आरोपी के द्वारा लाठी से मारपीट प्रहार करते समय उक्त साधन से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी खेलसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत खेलसिंह को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह

प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपी मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में जप्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट